शनिवार, 18 मई, 1985

28 वैशाख, 1907 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

LIAMENT LIBRARY
No.
Date

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 6, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 47, शनिवार, 18 मई, 1985/28 वैशाख, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	5—13
राज्य सभा से संदेश	13
विधेयक—पुरःस्थापित	
(एक) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक	13—21
(दो) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक	21—22
नियम 377 के अधीन मामले	22—26
(एक) उड़ीसा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता	
श्री बृज मोहन महन्ती	22
(दो) केरल में एल० पी० जी० सिलेण्डर बनाने वाले कारखाने के निकट भविष्य में बंद होने की सम्भावना	
श्री के० कुन्जम्बु	22
(तीन) उड़ीसा में बाड़ीगुमा में एक उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमिशन केन्द्र की स्थापना	
श्री के० प्रधानी	23
(चार) जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के निवासियों को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की आवश्यकता	
श्री पी० नामग्याल	23
(पांच) आंध्र प्रदेश में सोमशिला परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए अपेक्षित धन-राशि मंजूर करने की आवश्यकता	
श्री पी० पेंचलैया	24
(छ) इंडियन एयरलाईंस में कंप्यूटर प्रणाली द्वारा आरक्षण आरम्भ करने से यात्रियों के समक्ष आ रही कठिनाइयों को दूर करने की आवश्यकता	
प्रो० सैफुद्दीन चौधरी	24
(सात) विदेशों से प्राप्त "हास्पिटल आन व्हील्स" (चलते-फिरते अस्पतालों) का उपयोग न किया जाना और उनकी उपेक्षा किये जाने के बारे में जांच करने की मांग	
श्रीमती किशोरी सिंह	26

विषय	पृष्ठ
प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक	26—35
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जनार्दन पुजारी	26
श्री सी० माधव रेड्डी	27
श्री एच० एम० पटेल	28
श्रीमती गीता मुखर्जी	29
डा० गौरी शंकर राजहंस	29
श्री अमल दत्त	30
श्री राम प्यारे पनिका	32
खण्ड 2 से 4 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जनार्दन पुजारी	35

लोक सभा

शनिवार, 18 मई, 1985/28 वैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों में एक खबर छपी है तथा आपने एक पूर्वोदाहरण स्थापित किया है । लोंगोवाल, सरदार बादल तथा अन्य उदारवादी नेताओं की हत्या का एक षड्यंत्र था। (व्यवधान) केवल एक मिनट। उनकी पूछताछ की गई । उनका कहना है उन्हें पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिया गया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह मैंने देख लिया है···

प्रो० मधु दण्डवते : उनका कहना है कि उन्हें पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उसे मैंने पढ़ लिया है। यह समाचार पत्रों की खबर है। परन्तु आप इसका चर्चा के दौरान उल्लेख कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : ऐसा एक समाचार प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के बारे में भी था।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आतंकवादियों को पकड़ लिया है। समाचार में यही दिया गया है। मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सही है।

प्रो० मधु दण्डवते : आतंकवादी चाहते हैं कि चाहे शासक दल के हों अथवा विपक्ष के अथवा बेशक नरमपंथी अकाली हों, वे उन्हें समाप्त कर देना चाहते हैं। इसलिए सरकार को इस पर एक वक्तव्य देना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इसके बीच में ही चर्चा कर लें।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : इस बात का उल्लेख हुआ है कि गुप्तचर विभाग ने उनसे पूछताछ की तथा उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। मैंने उल्लेख करने की ही अनुमति दी थी।

[हिन्दी]

तो आप इसमें ही करिए न, बिल में ही सारी बातों को कह लीजिए।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : आज अंतिम दिन है। उन्हें इस पर वक्तव्य देने दें।

[हिन्दी]

बिल में क्या है···

अध्यक्ष महोदय : बात करेंगे। अब पता नहीं क्या है···

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : आप देश के प्रधान मंत्री तथा साधारण नागरिक के बीच भेद नहीं कर सकते। वे सभी नरमपंथी अकाली नेताओं की हत्या करना चाहते थे। इसे उन्होंने स्वीकार किया है। (व्यवधान) तथा उनका कहना है कि उन्हें पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिया गया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए प्रोफेसर साहब; मैं किसी भी आदमी के खिलाफ यह काम नहीं होने देना चाहता, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत बड़े हैं, दूसरे नेता भी वैसे तो बड़े हैं लेकिन मैं तो इस पक्ष का हूं कि किसी के भी खिलाफ यह काम नहीं होना चाहिए। इसको तो मैं अन्याय समझता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : मैं कार्यवाही में बाधा नहीं डालना चाहता। मैंने केवल आपके माध्यम से निवेदन किया है कि इस बारे में गृह मंत्री को वक्तव्य देने दें। विगत में उन्होंने ऐसे मामलों पर दो वक्तव्य दिए। उन्हें वक्तव्य देने दें। महोदय, आप उन्हें निदेश क्यों नहीं देते।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपके सामने बैठे हैं, मैं क्या डायरैक्ट करूं।

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, एक मिनट। मैं उम्मीद करता हूं प्रो० दण्डवते आपत्ति नहीं करेंगे। प्रो० दण्डवते ने यह मामला उठाया। मुझे आश्चर्य है कि गृह मंत्री ने तथा सभा के अन्य सदस्यों ने इस गम्भीर समाचार की, जो कि सभी समाचार पत्रों में तथा विशेष रूप से 'ट्रिब्यून' में छपा था, उपेक्षा क्यों की। इस जोगेन्द्र सिंह, जिसने हाल ही में अकाली दल का नेतृत्व हथियाया है, ने अखिल भारतीय सिख छात्र संघ की अध्यक्षता की जिसमें संकल्प पारित किया गया जिसमें श्रीमती गांधी की हत्या के लिए बेअंत सिंह, सतवंत सिंह की सेवाओं की प्रशंसा की गई। महोदय, बेअन्त की पत्नी को तथा सतवन्त के परिवार को धन दिया गया। मैं गृह मंत्री से जानना चाहता हूं। बम विस्फोट करने वाले अपराधी हैं। वे राष्ट्र-विरोधी हैं। उन्हें फांसी

देने के लिए एक विधेयक पारित किया जाये। यदि यह राजद्रोह नहीं है तो राजद्रोह तथा राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों की परिभाषा क्या है ? इस समय पंजाब में जो कुछ हो रहा है उससे हीन, जघन्य और निन्दनीय कार्य दूसरा नहीं हो सकता तथा अभी भी वे लोग पकड़े नहीं जा सके। खुले रूप में राजद्रोह भड़काने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रो० दण्डवते, उन्हें राजद्रोह भड़काने के लिए तथा प्रधान मन्त्री अथवा सामान्य व्यक्ति अथवा नरमपंथी अकालियों को मारने के लिए राजनैतिक मंच दिया गया है। इसलिए इस कार्यवाही की निन्दा की जानी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इनका पूरा समर्थन करता हूं। सामान्यतः मुझे प्रो० तिवारी को समर्थन देना उलझनपूर्ण है परन्तु इस मामले में मैं उनका शत प्रतिशत समर्थन करता हूं, महोदय···

प्रो० के० के० तिवारी : यह राष्ट्रीय हित में है···

प्रो० मधु दण्डवते : केवल राष्ट्र के हित में ही मैं प्रो० तिवारी का समर्थन कर रहा हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : मुझे प्रसन्नता है कि आपने राष्ट्रीय हित में एक बार तो मुझे समर्थन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रकट कर सकता हूं। वे केवल यहां पर पृथक मत रखते हैं। जब वे मेरे पास आते हैं वे सदा सहमत होते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : यह बहुत अच्छा शकुन है कि दण्डवते तथा तिवारी इस सब के अंत में सहमत होते हुए विदा ले रहे हैं। यह हमारे जीवन का श्रेष्ठ अवसर है।

अध्यक्ष महोदय : आपने नयी मैत्री बनाई है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं भी चाहता हूं कि इस मामले पर एक वक्तव्य दिया जाए। (**व्यवधान**) उन्होंने नरमपंथी अकालियों की निन्दा भी की है, जिन्होंने बैठक में भाग नहीं लिया···

अध्यक्ष महोदय : मैं आप दोनों के वक्तव्यों की प्रशंसा करता हूं। यह गम्भीर मामला है जिस पर गृह मंत्री को ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूं कि उन्होंने जब भी उचित समझा है ऐसा किया है···

प्रो० मधु दण्डवते : गृह मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय ने निदेश दे दिया है कि आप एक वक्तव्य दें···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको निदेश नहीं दे सकता। लेकिन यह आप पर निर्भर करता है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जो बात वे कह रहे हैं वह युक्तिसंगत है।

प्रो० मधु दण्डवते : वह सज्जन व्यक्ति हैं। अतः वह निदेश नहीं देते। अतः वह कहते हैं कि यह बात आप पर छोड़ी जाती है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं वास्तव में इनके कथन की प्रशंसा करता हूं।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, हमें इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। हमें शीघ्र इसका पालन करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने केवल एक शब्द 'राजद्रोह' की परिभाषा करने को कहा है। यदि हम इस पर एक विधेयक लाते हैं तो इससे अधिक इस शब्द की परिभाषा क्या हो सकती है? उन्होंने यही पूछा है। उन्होंने जो कुछ अब कहा है क्या वह इसमें शामिल होगा?

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : 'राजद्रोह' शब्द की परिभाषा क्या है?

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें खड़ा करने के लिए हमें अपनी वाग् शक्ति का उपयोग करना पड़ रहा है।

(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, 'राजद्रोह' के मामले पर हम इस सदन में एक विधेयक लाना चाहते थे, लेकिन इसमें कुछ समय लगा और यही कारण है कि हमारे लिए यह विधेयक लाना संभव नहीं हुआ। परन्तु हम इस पर तुरन्त कार्यवाही करना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या उसमें 'राजद्रोह' को शामिल किया जायेगा जिसके लिए उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है? क्या वह भी 'राजद्रोह' है?

श्री एस० बी० चव्हाण : मुझे उसकी जांच करनी होगी। मैं आपसे इसी समय सीधे कोई बात नहीं कह सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : गृह मंत्री महोदय, प्रो० तिवारी को तथा मुझे राजद्रोह में नहीं, अपितु हमारे द्वारा पूछे गये प्रश्नों में सम्मिलित करें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आज 6 बजे प्रातः के हिन्दी समाचार बुलेटिन में पढ़ा गया था कि श्री नीरेन घोष की मृत्यु हो गई। यह नीरेन घोष नहीं; अपितु नरेन घोष थे। इस बारे में भ्रम हो गया था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे भी भ्रम हुआ। वह मेरे अच्छे मित्र हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : वह केवल आपको याद दिला रहे हैं कि निधन संबंधी उल्लेख नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, नहीं। यह सुनकर मैं भौचक्का रह गया। आप जानते हैं कि सातवीं लोक सभा में मैं सबसे लम्बा तथा वे सबसे छोटे कद के थे।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

11.08 म० पू०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन, उसके वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

[अनुवाद]

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 26 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में एक विवरण ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1001/85]

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति ।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1002/85]

31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिंहभूम (बिहार); विदुर ग्रामीण बैंक, बिजनौर, साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक मालापुरम (केरल); बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जगदलपुर (मध्य प्रदेश) के वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिंहभूम (बिहार) का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1003/85]

(2) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विदुर ग्रामीण बैंक, बिजनौर, का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1004/85]

(3) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक, मालापुरम (केरल) का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1005/85]

(4) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जगदलपुर (मध्य प्रदेश) का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1006/85]

(5) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1007/85]

(6) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए। संख्या एल० टी० 1008/85]

(7) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रागज्योतिष गांवलिया बैंक, कामरूप (असम) का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1009/85]

(8) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वर्धमान ग्रामीण बैंक, वर्दवान (पश्चिमी बंगाल) का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1010/85]

(9) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सागर ग्रामीण बैंक, 24 परगना (पश्चिमी बंगाल) का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1011/85]

(10) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, पासीघाट का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1012/85]

(11) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बस्ती ग्रामीण बैंक, बस्ती (उत्तर प्रदेश) का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों को प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1013/85]

(12) 31 दिसम्बर, 198 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर बांगा क्षेत्रीय बैंक कूच बिहार (पश्चिमी बंगाल) का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1014/85]

(13) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मराठवाडा ग्रामीण बैंक, नांदेड़ का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1015/85]

(14) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ब्यावर (मध्य प्रदेश) का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1016/85]

(15) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कपूरथला-फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कपूरथला का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1017/85]

(16) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाहजहांपुर का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1018/85]

(17) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कोलार ग्रामीण बैंक, कोलार (कर्णाटक) का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1019/85]

(18) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुये वर्ष के लिए विन्ध्यवासिनी ग्रामीण बैंक,

मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1020/85]

(19) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुये वर्ष के लिए छिंदवाड़ा-सिवनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1021/85]

(20) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सरयू ग्रामीण बैंक, लखीमपुर खेड़ी (उत्तर प्रदेश) का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1022/85]

(21) 31 दिसम्बर, 1983 के वर्ष के लिए चन्द्रपुर-गढचिरोली ग्रामीण बैंक, चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1023/85]

(22) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नैनीताल-अलमोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नैनीताल का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1024/85]

(23) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिये छत्रसाल ग्रामीण बैंक, उरई (उत्तर प्रदेश) का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1025/85]

(24) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुये वर्ष के लिए कल्पतरू ग्रामीण बैंक, तुमकुर (कर्णाटक) का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1026/85]

(25) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुये वर्ष के लिए देवास-शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देवास (मध्य प्रदेश) का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1027/85]

(26) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुये वर्ष के लिये ककातिया ग्रामीण बैंक, हनमकोंडा (आन्ध्र प्रदेश) का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1028/85]

(27) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुये वर्ष के लिये औरंगाबाद-जालना ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या, एल० टी० 1029/85]

(28) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कछार ग्रामीण बैंक, सिलचर (असम) का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1030/85]

(29) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अलीगढ़ ग्रामीण बैंक, अलीगढ़ का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1031/85]

(30) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुये वर्ष के लिए एटा ग्रामीण बैंक, एटा का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2032/85]

(31) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुये वर्ष के लिए रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायगढ़ (मध्य प्रदेश) का प्रतिवेदन, लेखाओं तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1033/85]

(32) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक, गंजम (उड़ीसा) का प्रतिवेदन लेखाओं तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1034/85]

(33) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिये गोमती ग्रामीण बैंक जौनपुर (उत्तर प्रदेश) का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1035/85]

(34) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुये वर्ष के लिये सीवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजवंशी नगर, सीवन का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1036/85]

(35) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अलवर-भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक, भरतपुर का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1037/85]

(36) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुये वर्ष के लिए देवीपत्तन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोंडा (उत्तर प्रदेश) का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1038/85]

(37) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिये का बैंक नाम जिंडोगरी खासी जैंतिया, शिलांग का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालयमें रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1039/85]

(38) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुये वर्ष के लिए गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोपालगंज (बिहार) का प्रतिवेदन, लेखे तथा पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या, एल० टी० 1040/85]

(39) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुये वर्ष के लिये फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या, एल० टी० 1041/85]

(40) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुये वर्ष के लिये बनसकांठा-मेहसाना ग्रामीण बैंक, पाटन (गुजरात) का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन। ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1042/85]

(41) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुये वर्ष के लिये दमोह-पतना-सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दमोह (मध्य प्रदेश का प्रतिवेदन लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1043/85]

(42) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुये वर्ष के लिए दुर्ग-राजनंदगांव ग्रामीण बैंक, राजनंदगांव (मध्य प्रदेश) का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1044/85]

(43) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुये वर्ष के लिए इलाहाबाद ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1045/85]

(44) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुये वर्ष के लिये काशी ग्रामीण बैंक, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1046/85]

(45) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुये वर्ष के लिये क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी (उत्तर प्रदेश) का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1047/85]

(46) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुये वर्ष के लिए इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा (उत्तर प्रदेश) का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1048/85]

(47) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुये वर्ष के लिये समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर (बिहार) का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1049/85]

(48) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुये वर्ष के लिए किसान ग्रामीण बैंक, बदायूं (उत्तर प्रदेश) का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1050]85]

(49) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुये वर्ष के लिए बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बरेली (उत्तर प्रदेश) का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या, एल० टी० 1051/85]

(50) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुये वर्ष के लिए सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर (मध्य प्रदेश) का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1052/85]

(51) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए श्री अनन्त ग्रामीण बैंक, अनन्तपुर (आन्ध्र प्रदेश) का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1053/85]

(52) 31 दिसम्बर 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्गा (कर्णाटक) का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या, एल० टी० 1054/85]

(53) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरदोई-उन्नाव ग्रामीण बैंक, हरदोई (उत्तर प्रदेश) का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1955/85]

(54) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पांडयान ग्रामीण बैंक, सत्तूर (तमिलनाडु) का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1056/85]

(55) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर (बिहार) का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1057/85]

(56) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1058/85]

(57) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद

(मध्य प्रदेश) का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1059/85]

(58) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कटक ग्राम्य बैंक, कटक (उड़ीसा) का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1060/85]

(59) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतीहारी (बिहार) को प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1061/85]

(60) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बाराबंकी ग्रामीण बैंक, बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०1062/85]

(61) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मालाप्रभा ग्रामीण बैंक, मृत्युंजय नगर (कर्णाटक) का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1063/85]

(62) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बलिया ग्रामीण बैंक, बलिया (उत्तर प्रदेश) का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1064/85]

(63) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भागीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर (उत्तर प्रदेश) का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०1065/85]

(64) 31 दिसम्बर 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1066/85]

(65) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पुरी ग्राम्य बैंक, पिपली (उड़ीसा) का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1067/85]

(66) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मयूराक्षी ग्रामीण बैंक, बीरभम (पश्चिम बंगाल) का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1068/85]

(67) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जयपुर नागौर आंचलीक ग्रामीण बैंक, जयपुर (राजस्थान) का प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1069/85]

11.06 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे वित्त विधेयक, 1985 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 10 मई, 1985 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं ।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 17 मई, 1985 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 16 मई, 1985 को पारित किये गये, आंध्र प्रदेश विधान परिषद (उत्सादन) विधेयक, 1985 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।"

11.07 म० प०

विधेयक

(एक) आतंकवादी और विध्वंशकारी क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आतंकवादी और विध्वंशकारी क्रियाकलापों के निवारण के लिए और उनसे निपटने के लिए विशेष उपबन्धों तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलापों के निवारण के लिए और उनसे निपटने के लिए विशेष उपबन्धों तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रो० मधु दण्डते।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, हम भी चाहते हैं कि आतंकवादी क्रियाकलापों के विरुद्ध कड़े उपाय किए जाने चाहिए। इस संबंध में सारी सभा सहमत है। महोदय, मैं यह चाहता हूं कि हममें से कई सदस्यों को आज प्रातः 9-30 बजे तेरह पृष्ठ का विधेयक प्राप्त हुआ। संशोधन प्रातः 10 बजे से पूर्व भेजे जाने थे। मैंने इस विधेयक को 10-10 बजे पढ़कर खतम किया।

अध्यक्ष महोदय : मैं दो घन्टे का समय दे सकता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरी बात सुन लीजिए। केवल यही नहीं। मैं नहीं जानता कि आपने इस विधेयक को ध्यान से पढ़ा है या नहीं। मेरे विचार में कि आप इस 13 पृष्ठ के विधेयक को धैर्यपूर्वक नहीं पढ़ सकते। इस विधेयक में आतंकवाद, विध्वसकारी क्रियाकपालों, पृथकतावादी गतिविधियों की पुनः परिभाषा की गई है और परिभाषा इस ढंग से की गई है कि किसी ऐसे विधेयक के मसौदा को, जिसमें नजरबन्दी और सजा अन्तर्ग्रस्त हो, तैयार करते समय हमारा अतीत का अनुभव है कि हमें अत्यन्त सावधान होना चाहिए। यहां तक कि श्री सिखई जैसे न्यायाविद ने भी कहा है कि जब कभी कोई ऐसा विधेयक हो जिसमें लोगों के अधिकार अन्तर्गस्त हों अथवा अत्याचारपूर्ण और आतंकवादी क्रियाकलापों के विरुद्ध कतिपय कार्रवाइयां अन्तर्ग्रस्त हों तो अत्यन्त सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि आप अफसरशाही के हाथ में एक ऐसा हथियार दे सकते हैं जिसकी उनके द्वारा दुरुपयोग करने की संभावना हो। इस मामले विशेष में गाना, नाटक कविता और यहां तक कि पेंटिंग्स के विरुद्ध यह कह कर कि ये आतंकवाद को भड़काने वाली हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही की जा सकती है और इन सबको इस विधेयक की परिधि में ला दिया गया है। इस विधेयक में न केवल राजनीतिक शत्रुता, अथवा विद्रोहवाद अथवा आतंकवाद, हिंसा की कार्यवाही आदि शब्द शामिल किए गए बल्कि आपको यह जानकार अचम्भा होगा कि ऐसी कोई भी बात जिससे वर्ग संघर्ष हो सकता हो उसे भी इस विधेयक में शामिल किया गया है। कल यदि आदिवासी, जो उत्पीड़ित हैं और दबे हुए हैं, उन जमींदारों के विरुद्ध, जिन्होंने उन्हें लूटा और धोखा दिया है, सत्याग्रह करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और संघर्ष करते हैं तो उसे भी इस विशेष विधेयक के अनुसार विध्वंसकारी क्रियाकलाप समझ लिया जाएगा और उन्हें गम्भीर सजा दी जा सकती है।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, वह विधेयक में कुछ का कुछ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं कोई अनजान नहीं हूं। यद्यपि मेरे पास समय कम था फिर भी मैं इस विधेयक को ध्यानपूर्वक पढ़ कर आया हूं। मैं कई व्यक्तियों के विचारों को रख रहा हूं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। वे कहते हैं कि उन्हें पढ़ने का अवसर नहीं मिला। इसलिए दो

संभावनाएं हैं···(व्यवधान) मैंने इस पढ़ा है। क्या मैं मराठी में बोलूं ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें।

अध्यक्ष महोदय : वह बिना पढ़े कैसे बोल सकते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : कल जब हमने संसदीय कार्य मंत्री से पूछा कि विधेयक कहां है, विधेयक का पाठ कहां है, तो उन्होंने दोपहर बाद लगभग 1-00 बजे कहा कि हमें चार घंटों के अन्दर विधेयक मिल जाएगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैंने कहा था शाम को।

प्रो० मधु दण्डवते : हां, वह कल शाम के लिए कहा था। यदि विधेयक हमें कल भी मिल जाता तो हम इस विधेयक को देर रात तक पढ़ते और अपनी ओर से आलोचना करते तथा रचनात्मक विकल्प प्रस्तुत करते। यहां तक कि इसके स्थान पर एक अन्य विधेयक तैयार किया जा सकता था। मुझे विश्वास है, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उन्होंने मुझे अनौपचारिक रूप से कहा है, सत्तारूढ़ दल के कई सदस्यों ने मुझसे आज कहा है कि उन्होंने अब तक इस विधेयक को पूरा नहीं पढ़ा है, उन्होंने अभी इसे पढ़ना है। यह स्थिति होने के कारण आप हमें इस विधेयक के लिए या तो कुछ दिनों का समय दो और इसके लिए अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करो। मेरे अपने विचार में सरकार के पास इस समय जो उपाय और शक्तियां हैं···

प्रो० के० के० तिवारी : वह सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की ओर से कैसे बोल सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं उनकी ओर से नहीं बोल रहा हूं। श्री तिवारी जी, आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए बिलकुल तैयार नहीं हूं। मैंने तो यह कहा है कि सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों ने मुझे बताया था कि उन्हें विधेयक पढ़ने का समय नहीं मिला। इसलिए पुरःस्थापना के समय के दो विकल्प हैं। या तो विधेयक को आज विचारार्थ न लिया जाए और हमें सोचने के लिए कुछ समय दिया जाए। इस बीच रचनात्मक विकल्प प्रस्तुत किये जा सकते हैं। सभा के नेता विपक्षी सदस्यों की बैठक भी बुला सकते हैं। जैसा कि दल-बदल विरोधी विधेयक सभा में लाया गया था। वह विधेयक सभा का सर्वसम्मत विधेयक बन गया था। देश की स्थिति को देखते हुए सर्वसम्मत विधेयक प्रस्तुत करना संभव है। यदि तकनीकी दृष्टि से यह सम्भव न हो तो दूसरा विकल्प यह है कि सरकार स्वयं इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दे और उसे एक न्यूनतम समय दे दे।

प्रो० के० के० तिवारी : अब आपकी मंशा स्पष्ट हुई।

प्रो० मधु दण्डवते : वह यह आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आतंकवाद के पक्ष में हैं और देश की एकता को भंग कर रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : इसका क्या अर्थ हुआ ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपको बताऊंगा, उसका क्या अर्थ हुआ। प्रवर समिति को समयबद्ध कार्यक्रम दिया जा सकता है, उसे यथासंभव कम से कम समय दिया जा सकता है। अथवा मैं प्रवर समिति के लिए आग्रह नहीं करता। सरकार स्वयं विपक्षी नेताओं की बैठक बुला सकती है जैसा कि दल-बदल विरोधी विधेयक के समय बुलाई गई थी और वह दो दिन में निकल गया था।

प्रधान मंत्री ने अत्यन्त तत्परता से दो दिन में विपक्ष की तीन बैठकें बुलाई थीं और अन्तिम बैठक खत्म होने से पहले हमने एक सर्वसम्मत विधेयक तैयार कर लिया था। वह तरीका भी अपनाया जा सकता है और वही किया जाना चाहिए। यदि पुरःस्थापना के समय ऐसा नहीं किया जा सकता तो मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, हम सब आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध हैं और यह राष्ट्र के लिए चिन्ता का विषय है। यह स्वाभाविक है कि हम आतंकवादियों के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाये जाने के पक्ष में हैं। यह विधेयक आज पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगी जा रही है और हमें यह आज प्रातः ही मिला था। जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री दण्डवते ने बताया है हमारी भी स्थिति वैसी ही है। परन्तु मुझे विधेयक कुछ समय पहले मिला और मैंने इसे पूरा पढ़ा और देखा कि जहां तक इसके क्षेत्र का संबंध है कुछ बातें ऐसी हैं जो अभूतपूर्व हैं। उदाहरण के लिए न केवल वर्ग विद्वेष फैलाने का प्रश्न इसमें मौजूद है बल्कि किसी भी प्राधिकारी द्वारा नियम बनाने का उपबन्ध है और किसी भी प्राधिकारी को आदेश देने का अधिकार है। इस प्रकार कार्यपालिका के प्रत्येक प्राधिकारी को, किसी प्राधिकारी विशेष को नहीं, व्यापक नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। महोदय, इसके अतिरिक्त, अन्य बातों के साथ-साथ विध्वंसकारी क्रियाकलापों में क्या-क्या आएगा ? न केवल वे गाने आदि आएंगे जो विध्वंसकारी क्रियाकलापों का समर्थन करते हों, सलाह देते हों, सुझाव देते हों या उद्दीपन करते हों बल्कि इनमें वे भी सम्मिलित हैं जो ऐसी रीति से भविष्यवाणी करते हों, भविष्य कथन करते हों, उद्घोषणा करते हों या अन्यथा ऐसी रीति से अभिव्यक्त करते हों, जिससे उद्दीपन सलाह, सुझाव या प्रेरणा होती हो। महोदय, यह 'सुझाव' शब्द क्या है ? प्रधानमंत्री ने अपने चुनाव अभियान के दौरान हम सब पर आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का समर्थन करने का, जो हमने नहीं किया, आरोप लगाया था। परन्तु कल यदि आप यह कहते हैं कि हमने इसका समर्थन किया था और पृथग्वाद का सुझाव मिलता है तो हम सब इसके अन्तर्गत आ जाएंगे।

(व्यवधान)

बाद में, श्वेत पत्र में हम पर आरोप नहीं लगाया गया है। इस प्रकार किसी अवस्था में कोई भी प्राधिकारी हमें सम्मिलित करने के बारे में भी सोच सकता है···

अध्यक्ष महोदय : कृपया खण्डवार मत चलिए। विधेयक का सामान्य तौर पर विरोध कीजिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इसलिए मैं सुझाव देती हूं कि इस विधेयक में इतनी जल्दी न कीजिए। यदि आवश्यक हो तो इस विधेयक को पारित करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है।

प्रो० मधु दण्डवते : वे इसमें जल्दी कर रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और वे इसे कुछ ही घण्टों में पारित करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और इसे आज प्रातः ही परिचालित किया गया है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह 10 और 11 के बीच परिचालित किया गया है···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आप कहते हैं कल। मुझे जब यह प्रातः मिला था। मैंने समय नोट कर लिया था।

(व्यवधान)

मैं सचिवालय को दोषी नहीं ठहराता। जब मंत्रालय ही विधेयक विलम्ब से देगा तो सचिवालय क्या कर सकता है? मैं सचिवालय को दोष नहीं देता। सचिवालय केवल डाकिए का काम कर रहा है। मुझे खेद है, मैं यह एक अच्छी भावना से कह रहा हूं, एक गौरवपूर्ण ढंग से कह रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : कल हमें बताया गया था कि यह विधेयक कल ही परिचालित किया जायेगा। परन्तु यह आज प्रातः परिचालित किया गया था। इतना महत्वपूर्ण विधेयक···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने समय नोट कर लिया था। मुझे आज प्रातः 9.30 बजे मिला था। जब चपरासी ने विधेयक सहित एक पैकेट दिया मैंने समय नोट कर लिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आचार्य बसुदेव को बोलने दीजिए। मैंने आचार्य बसुदेव को बोलने की अनुमति दी है। उन्हें नहीं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : इसके दुरुपयोग की पूर्ण सम्भावनाएं है। इस अधिनियम का भविष्य में दुरुपयोग किया जा सकता है। इससे एक गलत मिसाल भी कायम होगी···(व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : वे बाधा क्यों डाल रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : एक सामान्य सिद्धांत पर वे विरोध कर सकते हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : इसे आज पुरःस्थापित किया जाएगा, आज ही विचार किया जाएगा और आज ही पारित कर दिया जाएगा। इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी। इसी कारण हम इस विधेयक का विरोध करते हैं और अनुरोध करते हैं कि इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : आप सुनिए, सुनते नहीं हैं, खाली सुनाते हो। बात यह है कि बिल मुझको आज ही मिला और इस बिल में ऐसे-ऐसे नुक्स हैं, जिनको हमने महसूस किया है। पता नहीं क्या-क्या लिखा है, क्या-क्या पास होता है। जैसा कि अभी हमारे कालीन दण्डवते जी

ने बोला न कि अभी हमें 2-4 रोज का समय पढ़ने के लिए दो। आपने तो हमें समय ही नहीं दिया है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : हमारी एक्सपर्ट नालिज आपके जितना नहीं है, हम अपने दिमाग के मुताबिक काम करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपा करके बैठ जाइए। आपका कोई मतलब नहीं है।

[अनुवाद]

मैं जानता हूं मुझे क्या करना है।

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे : हम अशोक सेन जैसे बैरिस्टर साहब नहीं हैं। मैं हल्ला-गुल्ला करने वाला आदमी हूं। (व्यवधान)···हमको कुछ समय चाहिए।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : चौबे जी, बैरिस्टर अधिक समय लेता है।

[हिन्दी]

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : हल्ला आप बाहर करना।

श्री नारायण चौबे : हम हल्ला यहां भी करेंगे और बाहर भी करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं हल्ला यहां नहीं करने दूंगा। बाहर जाकर करिए।

श्री नारायण चौबे : आप इसको अभी स्थगित करिए, नहीं तो कमेटी के सामने भेजिए, नहीं तो स्पेशल पार्लियामेंट बुलाइए और 7 रोज के अन्दर बिल पास करिए।

[अनुवाद]

श्री ए० के० सेन : यदि यह विधयक वास्तव में पास करने के इच्छुक हैं और उस पर विचार करने के लिए समय चाहते हैं तो हम इसे सोमवार को ले लेंगे। परन्तु सभा को हमारे समक्ष इतने बड़े खतरे के प्रति सजग होना चाहिए। यदि हम गम्भीर हैं, जैसा कि हमें होना चाहिए···(व्यवधान)

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तुमलुक) : सोमवार या मंगलवार को लिया जा सकता है।

श्री ए० के० सेन : मंगलवार को नहीं, सोमवार को। हमें राज्य सभा भी जाना है। हमारी नम्रता को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : सोमवार और मंगलवार के बीच कमजोरी का प्रश्न कहां आता है।

श्री ए० के० सेन : हमें यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम अभूतपूर्व खतरे का सामना कर रहे हैं और यह भी स्पष्ट है कि ये सारे विस्फोट कुछ दिन पहले ही हुए हैं। हम इस बारे में जल्दी

कर रहे हैं। महोदय, मैं आपको बता सकता हूं और आपके माध्यम से इस सभा को भी बताता हूं कि हमने इन बात का पूरा खयाल रखा है कि आतंकवादियों के अतिरिक्त और किसी पर इसका प्रभाव न पड़े और मैंने स्वयं इसका एक-एक पृष्ठ पढ़ा है। (**व्यवधान**) नहीं, नहीं। आप तर्क नहीं सुनते परन्तु मैं सुनता हूं। हम इसे सोमवार को ले लेंगे। यदि यही इच्छा है तो (**व्यवधान**) परन्तु हम इसे अब पुरःस्थापित कर देते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं बहुत खुश हूं। एक लोकतांत्रिक होने के नाते यह विधि मंत्री हमेशा विपक्ष की अपील सुनते हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं। जहां मैं उन्हें बधाई देता हूं वहीं अन्यों की निन्दा नहीं करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अहमदाबाद में झगड़ा चल रहा है। बहुत से विपक्षी नेता वहां जा रहे हैं और उन्होंने प्रधान मन्त्री से वायदा किया है कि वे जब वापिस आएंगे तो अपने निष्कर्षों से उन्हें अवगत कराएंगे। अतः मैं सोमवार की बजाय यदि मंगलवार कर दिया जाता है तो हम बहुत खुश होंगे।

श्री ए० के० सेन : मैं चाहता हूं कि सभा को वह सारी सूचना दी जाए जो सरकार के पास है। हमें शीघ्रता से और दृढ़ता से कार्यवाही करनी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : सोमवार की बजाय मंगलवार को लिया जाए तो क्या समस्या है।

श्री ए० के० सेन : हम सोमवार के लिए सहमत हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : हमने आपको अपनी कठिनाई बताई है। हमने सभा के नेता को बताया है कि हम अहमदाबाद जा रहे हैं। (**व्यवधान**)···केवल एक दिन के लिए। बस। मैं सुझाव स्वीकार करता हूं। सोमवार की बजाए आप मंगलवार को रख लीजिए तो क्या कठिनाई है? अहमदा बाद का दौरा स्थगित नहीं किया जा सकता। वहां झगड़े चल रहे हैं। हम वहां मौजमस्ती मनाने नहीं जा रहे हैं। (**व्यवधान**) हमने सभा के नेता को इस निर्णय से पहले ही अवगत करा दिया है अर्थात् हम वहां जा रहे हैं और हम उनके···(**व्यवधान**) क्या आप एक दिन के लिए समायोजन नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री सोमजी भाई डामोर (दोहद) : यह सब क्या है, यह क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : अपने प्रधान मन्त्री से पूछिए।

श्री ए० के० सेन : प्रो० दण्डवते, कृपया मेरी बात सुनिए। अहमदाबाद का दौरा कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जा सकता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परन्तु इस सभा को इस प्रश्न का फैसला अभी करना होगा क्योंकि देश इस सभा से नेतृत्व की आशा करता है। अतः मैं प्रो० मधु दण्डवते से इसे एक दिन के लिए स्थगित करने का निवेदन करता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : कल हम सभी अहमदाबाद जा रहे हैं। हम सोमवार को वापस आएंगे। अगर हमें थोड़ी-सी भी देरी हो गई तो सारा कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हो जाएगा।

श्री ए० के० सेन : हम आपको अवसर देंगे।

प्रो० मधु दंडवते : इसका अर्थ है कि ऐसी स्थिति में आप इसे दोपहर के बाद लेंगे।

श्री ए० के० सेन : हमारे पास और भी सदस्य हैं। आप आकर चर्चा में शामिल हो सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : इसका आशय है कि मेरे आने से पूर्व आप विधेयक पास करवा लें।

श्री ए० के० सेन : जी नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे; हम ऐसा तब तक नहीं करेंगे जब तक प्रो० मधु दण्डवते नहीं पहुंच जाते।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : यह मानकर कि प्रश्नकाल है और इसे 12 बजे आरम्भ करें। (व्यवधान) आपको ऐसा करने की अनुमति है। कुछ अल्प सूचना प्रश्नों को अनुमति दे दें। कुछ तब तक 12 बजे जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे सोमवार को अनुपस्थित रहने की अनुमति दे सकते हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : ऐसा हो सकता है। 11 बजे शुरू करने सम्बन्धी नियम को निलम्बित कर दीजिए और सोमवार को 12 बजे शुरू कीजिए। मैं नियम 388 के अन्तर्गत इसका प्रस्ताव करने के लिए तैयार हूं। मैं नियम 388 के अन्तर्गत इसका प्रस्ताव कर सकता हूं कि प्रश्नकाल जो नहीं हैं, कम से कम उस अवधि को निलम्बित किया जाये और सभा की बैठक 12 बजे शुरू की जाए।

(व्यवधान)

श्री ए० के० सेन : यह एक ऐसा उपाय है जिसे सरकार पारित करना चाहती है न केवल विरोध के होते हुए बल्कि चाहता हूं कि सदन···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : हम यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि यह सर्वसम्मति से पारित हो।

श्री० ए० के० सेन : यह ठीक है। यह एक ऐसा उपाय है जहां पर दलगत भेद नहीं होना चाहिए, यह एक ऐसा उपाय है जिसे किसी भी दल द्वारा सत्ता में होने पर लेना होगा।

प्रो० मधु दंडवते : हम भी उनकी 'हिट लिस्ट' में हैं।

श्री ए० के० सेन : हमें खतरे को समझना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : आप उम्मीद करते हैं कि हम भी 'हिट लिस्ट' में हैं ?

श्री ए० के० सेन : जी नहीं, नही; इसी कारण हमने उसके लिए उपबन्ध किया है कि कोई भी व्यक्ति जो शपथ से बंधा हुआ है उसे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए; उसकी भी सुरक्षा हो। अत: इसे हम सोमवार को 11 बजे लेंगे; और मैं प्रो० मधु दण्डवते को आश्वासन दे सकता हूं कि इसे उनके यहां आकर अपना भाषण देने से पहले पारित नहीं किया जाएगा।

प्रो० मधु दण्डवते : ऐसा मेरे भाषण की वजह से नहीं है। कालेज में, मैंने बहुत समय तक, 25 वर्षों तक, भाषण दिए हैं, मैं अपने भाषण के प्रति उत्सुक नहीं हूं। परन्तु जब आप कार्यवाही शुरू करें तो आप इसे 12 बजे शुरू करें।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, कोई बात नहीं। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। चिन्ता मत करें। हम ऐसे ही रखेंगे।

श्री ए० के० सेन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलापों के निवारण के लिए और उनसे निपटने के लिए विशेष उपबन्धों तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलापों के निवारण के लिए और उनसे निपटने के लिए विशेष उपबन्धों तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री० ए० के० सेन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हू।

एक माननीय सदस्य : चर्चा सोमवार को होगी ?

श्री ए० के० सेन : सोमवार को। मैं बहुत आभारी हूं। इस सभा को ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर विभाजित नजर नहीं आना चाहिए क्योंकि इससे इसका पूरा प्रयोजन ही खत्म हो जायेगा। राष्ट्र का संकल्प है कि उग्रवाद को कानून के साथ निपटा जाये।

प्रो० मधु दण्डवते : हम न केवल अविभाजित हैं; परन्तु हम एक हैं। इसे सकारात्मक ढंग से रखिए।

श्री ए० के० सेन : मैं बहुत आभारी हूं। यह सदन इसे अवश्य ही एकमत से पारित करे।

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर संशोधन 5 बजे शाम तक दिए जा सकते हैं।

श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी (नवद्वीप) : क्या हम संशोधन सोमवार को प्रातः दस बजे दे सकते हैं।

11.29 म० पू०

(दो) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियमन, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

*दिनांक 18-5-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

"कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियमन 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

11.30 म० पू०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : उड़ीसा राज्य का बहुत बड़ा भाग भारी सूखे की चपेट में है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में विशेषतः पेयजल की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। भूमि तल में जल-स्तर बहुत नीचे चला गया है। बहुत से कुएं अब सूखे हैं। पाइप-जल काफी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। बहुत से नलकूप खराब पड़े हैं। जल मानव की मूलभूत आवश्यकता है तथा पेय जल जीवन के लिए आवश्यक है। कुछ हिस्सों में शुद्ध पेय जल उपलब्ध न होने के कारण पेचिश तथा अन्य बीमारियां फैल गयी हैं। यह खबर है कि बहुत सारे बच्चे पेचिश तथा अन्य बीमारियों की वजह से मर गये हैं तथा बहुत से बच्चे अभी पेचिश से ग्रस्त हैं। स्थिति बहुत ही दुःखद है।

अतः मैं सरकार से लोगों के इस्तेमाल के लिए पेय जल उपलब्ध कराने तथा इसे उपलब्ध कराने के लिए अन्य सभी प्रबन्ध करने हेतु तुरन्त कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

(दो) केरल में एल० पी० जी० सिलेण्डर बनाने वाले कारखाने के निकट भविष्य में बन्द होने की सम्भावना

श्री के० कुन्जम्बु (अडूर) : एल० पी० जी० सिलिंडर बनाने वाला कारखाना जो केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्थापित किया गया है, क्रयादेश के अभाव में संकट का सामना कर रहा है। तीन राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों ने, जो इन सिलिंडरों की एकमात्र खरीददार हैं, इस कारखाने को कोई क्रयादेश नहीं दिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मार्च, 1986 तक की आवश्यकतानुसार क्रयादेश उन कारखानों के पास अग्रिम दे रखे हैं जो 1982 से पहले स्थापित किए गए थे।

इस कारखाने ने 110 लाख रुपये का पूंजीनिवेश किया है और 80 व्यक्तियों की रोजगार क्षमता है। क्रयादेशों के अभाव में यह कारखाना बेकार पड़ा है।

मन्त्रालय के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया था और प्रयोग के तौर पर क्रयादेश देने की प्रणाली बनाई गयी थी। केरल में इस कारखाने को प्रयोग क्रयादेश भी प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह तेल कम्पनियों को इस कारखाने को क्रयादेश देने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करे।

(तीन) उड़ीसा में बाड़ीगुमा में एक उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमिशन केन्द्र की स्थापना

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : कोरापुट जिला, जो देश का सबसे बड़ा जनपद है, पिछड़ा आदिवासी प्रधान क्षेत्र है और ये आदिवासी शिक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से हमारे समाज का सबसे निचला स्तर है। स्वतन्त्रता के बाद विभिन्न प्रकार से हर वर्ष उनके उत्थान के लिए बहुत धनराशि खर्च की जा रही है परन्तु इसके परिणाम बहुत ही निराशाजनक है। अगर इस क्षेत्र को दूरदर्शन की परिधि में लाया जाये तो यह उनको विभिन्न दिशाओं में शिक्षित कर सकेगा तथा उनके उत्थान में बहुत सहायता कर सकेगा। इस जनपद की जनसंख्या कुछ छोटे राज्यों जैसे, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम से भी बहुत अधिक है। 28-2-85 को कोरापुट में एक कम शक्तिशाली पारेषण केन्द्र (ट्रांसमिशन सेंटर) शुरु किया गया था परन्तु उससे पहाड़ी क्षेत्र की लगभग 5 प्रतिशत जनसंख्या को फायदा पहुंच सका और मैदान में रहने वाले अधिक लोगों को ऊंची पहाड़ियों के बीच में होने के कारण उनका लाभ नहीं पहुंच रहा है।

कोरापुट कस्बा, सुनाबड़िया तथा दोमनजोड़ी, जहां अधिकतर सरकारी कर्मचारी रहते हैं, को इसका लाभ पहुंच रहा है। ऊपरी डिवीजन नौरंगपुर, जयपोर तथा मल्कनगिर सब-डिविजन जो पहाड़ियों से दूर मैदानों में मध्य प्रदेश के बस्तर जनपद के पास है, इस वर्तमान सेंटर का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। यहां पर सेंटर के शुरू होने से पहले लगभग 5000 टेलीविजन खरीदे गए थे और वे बेकार पड़े हैं। अगर बोरीगुमा में एक अन्य उच्च शक्ति का ट्रांसमिशन सेंटर स्थापित किया जाये तो यह उपर्युक्त क्षेत्र के साथ-साथ बस्तर जनपद को भी लाभान्वित कर सकेगा। अतः माननीय सूचना और प्रसारण मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि वह बोरीगुमा में तुरन्त एक सेंटर स्थापित करें जिससे उस क्षेत्र के लोगों का उत्थान करने में सहायता मिल सके।

(चार) जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के निवासियों को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की आवश्यकता

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में यह खबर प्रकाशित हुई है कि जम्मू और काश्मीर राज्य के राज्यपाल ने जम्मू तथा कश्मीर पर भारत के सविधान का अनुच्छेद 342 लागू करने और समूचे लद्दाख क्षेत्र के निवासियों को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से इस पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए इसकी सिफारिश की है। अब यह मामला अन्तिम निर्णय के लिए भारत सरकार के समक्ष है। आपको याद होगा कि स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अप्रैल, 1983 में अपनी लेह तथा कारगिल की यात्रा के दौरान आम सभा में यह आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार की सहमति प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार पहले से ही लद्दाख क्षेत्र के सभी निवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए तैयार है।

अब जबकि राज्य सरकार की, भारत के संविधान का अनुच्छेद 342 को लागू करने की,

सहमति भारत सरकार के समक्ष हैं। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तुरन्त लद्दाख के निवासियों को अनुसूचित जनजाति घोषित करने सम्बन्धी एक अधिसूचना जारी करे।

(पांच) आन्ध्र प्रदेश में सोमशिला परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए अपेक्षित धनराशि मंजूर करने की आवश्यकता

श्री पी० पेंचलैय्या (नैल्लोर) : पेना नदी पर सोमशिला परियोजना का निर्माण कार्य 1975 में आरम्भ किया गया था। तब यह निर्णय किया गया था कि इस दो चरणों वाली परियोजना को क्रमश: 88 करोड़ रुपए तथा 52 करोड़ रुपए खर्च करके पूरा किया जायेगा। योजना आयोग ने भी 1973 में इसको स्वीकृति दे दी थी। राज्य सरकार ने प्रथम चरण के लिए 17.20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी थी।

अब तक लगभग 63 करोड़ रुपए इस परियोजना पर खर्च हो चुके हैं। अब निर्माण कार्य पूरा होने में विलम्ब के कारण इस परियोजना की लागत 147 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

इस परियोजना का तेलुगु गंगा परियोजना से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। जब तक इस परियोजना को पूरा नहीं किया जाता तेलुगु गंगा के माध्यम से पेय जल मद्रास नहीं ले जाया जा सकता। जब यह पूरी हो जाएगी तो लगभग 1.70 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जा सकेगी। इस परियोजना की इतनी महत्ता है।

68 करोड़ रुपए के अलावा, जो पहले ही खर्च किए जा चुके हैं, इस परियोजना के लिए 84 करोड़ रुपए की और आवश्यकता है, बशर्ते कि इसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा किया जाना है।

अत: भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में हाथ में ले और इसे शीघ्र पूरा करने के लिए धनराशि मंजूर करे।

(छ:) इंडियन एयरलाइंस में कंप्यूटर प्रणाली द्वारा आरक्षण आरम्भ करने से यात्रियों के समक्ष आ रही कठिनाइयों को दूर करने की आवश्यकता

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : गत कुछ समय से इंडियन एयर लाइंस ने आरक्षण के लिए कम्प्यूटर प्रणाली आरम्भ की है और यह कहा गया है कि इस कम्प्यूटर से यात्रियों को राहत मिलेगी तथा संगठन में अनुशासन आयेगा। यह सोचा गया था कि कम्प्यूटर अनियमितताओं को समाप्त करके भ्रष्टाचार को भी समाप्त कर देगा।

इस कम्प्यूटर द्वारा किए गए आरक्षणों से यात्रियों को परेशानी में डाल दिया है, एक स्पष्ट तथ्य है। अभी तो लोग जो बात अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि कम्प्यूटर से साथ धोखाधड़ी की जाती है और यात्रियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब यह दिनों की बात है कि यात्रियों को अपनी यात्रा पक्की करने में पहले लाइनों में पड़ा रहना पड़ेगा। काऊंटर पर तैनात अधिकारी, कम्प्यूटर को हवाला देगा और कहेगा 'सोरी, नो वेकेंसी' (खेद है, कोई स्थान नहीं है) और बस यही सब कुछ है। यात्री अपने आपको असहाय तथा परेशान महसूस करते हैं और वे

पूछते रहते हैं कि कम्प्यूटर प्रणाली के शुरू करने से समस्याओं का समाधान होने की बजाय समस्याएं क्यों उत्पन्न हो गई हैं। संसद सदस्य और तथाकथित अति विशिष्ट व्यक्ति (वी० आई० पी०) भी असुविधा महसूस कर रहे हैं, चूंकि कम्प्यूटर आम तौर से आरक्षण के अनुरोध पर नहीं कहता है। बहुत से लोगों को यह बात मालूम नहीं है कि 'ट्रेवल एजेंट' दलाल तथा इंडियन एयर लाइंस के अधिकारियों ने मिलकर अभाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है और इसलिए आरक्षणों की सीमित संख्या बनी रहेगी। उदाहरण के लिए एक ट्रेवल एजेंट पांच-दस सीटें बुक कर लेता है और उनके सामने एयर लाइंस को एक नाम दिखा देता है या जाली नामों से सीटें बुक करा लेता है। वह दस सीटों के लिए किराया जमा नहीं करायेगा और नाम नहीं दर्शायेगा। एक बार सीटें बुक करने के बाद वह आसानी से मनमाने मूल्य पर टिकटों को बेचता है।

कंप्यूटर से अभाव की स्थिति उत्पन्न हुई है तथा ट्रेवल एजेंट का प्रीमियम प्रति टिकट 200 से 300 रुपए होता है और ट्रेवल एजेंट यह गुप्त बात भी बता देता है कि उसे इसमें से कुछ हिस्सा अधिकारियों को भी देना पड़ता है। हवाई अड्डे पर यह प्रीमियम 300 से 500 रुपए तक होता है चूंकि कुछ जरूरतमंद यात्री बचे हुए कोटे पर अपने लिए बुकिंग करवाने की आशा में हवाई अड्डे पर जाते हैं।

ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर असफल हो गया है परन्तु सत्य यह है कि कंप्यूटर के साथ धोखा-धड़ी की जाती है। पहले उपाय के तौर पर मंत्री महोदय को ट्रेवल एजेंसियों के लिए आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। अगर लोकतंत्र में यह संभव नहीं है तो ट्रेवल एजेंटों को सभी सीटों के लिए नकद भुगतान करने और पहले से ही सही नाम दर्शाने के लिए आदेश दिया जाना चाहिए। सीटों का ब्लाक नहीं करने दिया जाना चाहिए। चूंकि अब भ्रष्टाचार व्याप्त है अतः मंत्री महोदय को इन बातों को दूर करने के लिए अपना ध्यान इस ओर लगाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आजाद जी कंप्यूट्राइजेशन के बारे में सदन की भावनाओं को नोट कीजिए। क्या आप कृपया प्रभारी मंत्री जी को अनुदेश देंगे ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं मंत्री जी के नोटिस में यह बात ला दूंगा···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हां, इसको नोट कीजिए तथा उचित कदम उठायें···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभी अन्य सदस्य भी यही बात कहते हैं···

(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : जी, हां, मैं ऐसा करूंगा। संबंधित मंत्री के ध्यान में यह बात लायी जायेगी···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : तुरन्त कार्यवाही की जरूरत है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, श्रीमती किशोरी सिंह।

(सात) विदेशों से प्राप्त "हास्पिटल्स आन व्हील्स" (चलते-फिरते अस्पतालों) का उपयोग न किया जाना और उनकी उपेक्षा किये जाने के बारे में जांच करने की मांग

श्रीमती किशोरी सिंह (वैशाली) : महोदय, मैं निम्नलिखित मामला नियम 377 के अंतर्गत उठाती हूं। 2 मई, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि विदेशों से प्राप्त किए गए 318 चलते-फिरते अस्पताल, हास्टिल्स आन व्हील्स, काफी समय से प्रयोग में न लाये जाने तथा उनकी देखभाल करने में की गई लापरवाही के कारण बेकार हो गये हैं। समाचार पत्र में आगे कहा गया है कि उनकी नीलामी की जाएगी क्योंकि वे मरम्मत करने योग्य नहीं रह गये हैं। यह बहुत दुःख की बात है कि जबकि देश में अस्पताल उपकरणों की कमी है और ग्रामीण क्षेत्रों का बहुत क्षेत्र अभी अस्पताल सुविधाओं से वंचित है, चलते-फिरते अस्पतालों को सड़ने दिया गया। सरकार को इस मामले में जांच करानी चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ये अस्पताल फिर से काम में लाये जा सकें।

11.43 म० पू०

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं पुजारी जी को विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए बुलाऊं, मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि संशोधन आज एक बजे तक दिये जा सकते हैं। अब पुजारी जी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

जैसा कि माननीय सदस्यों को जानकारी है कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 स्टाक एक्सचेंजों तथा सार्वजनिक सीमित कंपनियों की औद्योगिक प्रतिभूतियों में व्यापार से संबंध रखता है। स्टाक एक्स्चेंजों तका औद्योगिक प्रतिभूतियों में व्यापार उद्योगों तथा अन्य परियोजनाओं के लिए धन जुटाने और पूंजी निवेशकों, जो ज्यादातर छोटे पूंजी निवेशक हैं, के लिए नकदी और विपण्यता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है। ऐसे पूंजी निवेशक सारे देश में फैले हुए हैं। प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को रजिस्ट्रीकरण करने की वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत उन्हें विलम्ब और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान कानून तथा अधिकतर कंपनियों के संस्था नियमों के अंतर्गत, कंपनियों के निदेशक बोर्ड को कोई कारण बताये बिना प्रतिभूतियों के हस्तांतरण का रजिस्ट्रीकरण करने से मना करने की शक्ति प्राप्त है। हालांकि असंतुष्ट व्यक्ति कंपनी कानून बोर्ड के पास ऐसी मनाही के लिए अपील कर सकता है, इसमें उन पर अनावश्यक भार पड़ जाता है। इसके अतिरिक्त, विश्व के अधिकतर देशों में जो कंपनियों के लिए संसाधन जुटाने के लिए पूंजी बाजारों पर निर्भर करते हैं, वहां प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है। निवेशकों की कठिनाइयों को दूर करने तथा देश में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956

में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि स्टाक एक्सचेंजों की सूचियों में दर्ज प्रतिभूतियों के लिए उनके स्वतंत्र हस्तांतरण का उपबंध किया जा सके। मैं एक और बात यहां कहूंगा कि संशोधन में उपयुक्त सुरक्षा उपाय अधिग्रहण को रोकने के लिए किये गये हैं। इस विधेयक का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि मनाही करने के मामले में निवेशक की बजाय कंपनी को कंपनी कानून बोर्ड के पास इसका उल्लेख करना होगा।

विधेयक के कुछ अधिक महत्वपूर्ण प्रावधानों का विवरण इस विधेयक के साथ संलग्न, उद्देश्यों और कारणों के कथन में दिये गये हैं और उन्हें यहां मेरे लिए दोहराना आवश्यक नहीं होगा।

11.45 म० पू०

[श्री एन० वेंकटरत्नम पीठासीन हुए]

अतः इस संशोधन को स्पष्ट करने में मैं सभा का और समय नहीं लेना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं सभा के विचारार्थ इस विधेयक को प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री माधव रेड्डी।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह बहुत स्वागत योग्य कार्यवाही है। वर्तमान कंपनी कानून में छोटे निवेशकर्ताओं और छोटे शेयरधारियों के शेयर अन्तरण पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस विधेयक के जरिये छोटे शेयरधारियों को बिना किसी कठिनाई के अन्तरण के रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की अनुमति दी जा रही है और अन्तरण के रजिस्ट्रीकरण का केवल तभी उल्लेख किया जायेगा, जब अंतरण-पत्र उचित नहीं होगा अथवा जब कंपनियों को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया जायेगा। केवल इन्हीं मामलों में प्रतिबंध लगाये गये हैं। यह एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि वर्तमान कानून के अन्तर्गत जब छोटे निवेशकर्ता अपने शेयर बेचना चाहते हैं और जब वे अपने शेयर अंतरण के रजिस्ट्रीकरण के लिए कम्पनियों के पास जाते हैं तो बहुत-सी कम्पनियां इन अन्तरणों का रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार कर देती हैं।

इन कंपनियों के ज्ञापन और अन्तर्नियमावली में उपबंध हैं जिसमें निदेशक बोर्ड को रजिस्ट्रीकरण न करने की शक्तियां प्राप्त हैं। यह बहुत बुरी बात है। किसी भी देश में किसी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के सभी शेयर अन्तरणीय हैं। उन्हें निर्बाध रूप से बाजार में बेचा जा सकता है और सूची में दर्ज इन सभी कम्पनियों को यह सुविधा प्राप्त है। लेकिन भारतीय कम्पनियों ने छोटे निवेशकर्ताओं को यह सुविधा नहीं दी हुई है।

इसके अतिरिक्त मैं कुछ उपबंधों, विशेषकर कम्पनी अधिनियम, में संशोधन चाहता हूं ताकि पूंजी निर्बाध रूप से उपलब्ध हो सके और छोटे निवेशकर्ता इन कम्पनियों में पूंजी निवेश

कर सकें। इस समय शेयर आदि दर्ज कराने पर बहुत से प्रतिबंध हैं। लघु और मध्यम कंपनियों के लिए आसान नहीं है कि वे स्टाक एक्सचेंजों के पास अपने शेयर दर्ज करा सकें। स्टाक एक्सचेंजों को बहुत-सी शक्तियां दी गई हैं। स्टाक एक्सचेंज अधिनियम में यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किया जाये कि किसी कंपनी के लिए शेयर दर्ज कराने की बिना किसी बाधा के अनुमति हो।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मेरे विचार से यह एक स्वागत योग्य कदम है और इसे अधिक चर्चा किये बिना ही पारित किया जाना चाहिये।

श्री एच० एम० पटेल (साबरकंठा) : मेरे विचार से शायद यह विधेयक आवश्यक है जिसका कारण यह है कि कभी-कभी निदेशक बोर्ड बिना किन्हीं वैध कारणों के शेयरों का अन्तरण करने से मना कर देते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर निदेशक बोर्ड अत्यन्त दायित्वपूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हैं और वे किसी प्रतिभूति के अन्तरण की मनाही नहीं करते हैं।

सभापति महोदय : कृपया माइक के नजदीक आ जाइये।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सभा बेचैन है।

श्री एच० एम० पटेल : जब कभी वित्तीय विषय होता है तो कम लोगों की इसमें रुचि होती है। अतः सभा की वास्तव में इस प्रकार के विषय में रुचि नहीं है। प्रतिभूतियों के अन्तरण में यहां किसी ने कठिनाई अनुभव नहीं की है और उन्हें अन्तरण की मनाही नहीं की गई है। अतः इसमें कम रुचि है। वास्तव में अत्यधिक कम अवसरों पर ही बिना वैध कारणों के अन्तरणों की मनाही की जाती है। हाल ही में एस्कोर्ट्स और दिल्ली क्लाथ मिल्स के सर्वविदित उदाहरण हमारे सामने हैं। इस विशेष मनाही के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। मुझे नहीं मालूम कि इस संशोधन द्वारा अब उस प्रकार की मनाही को किस प्रकार से रोका जा सकेगा।

इसका अभिप्राय यह है कि निदेशकों को इन्कार करने के कारण देने होते और कंपनी विधि बोर्ड के सामने वे कारण होते जिनके आधार पर निदेशक बोर्ड ने स्वराज पाल के शेयरो को हस्तान्तरित करने, जैसे कि उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, के लिए इंकार किया था। फिर भी, मैं सोचता हूं कि प्रस्तावित संशोधन पूर्वतः उचित है और उन पर आपत्ति करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि इसका उद्देश्य अस्वीकृत करने के कारणों को लिखित में लाता है। कभी-कभी हस्तांतरण का कोई मामला अस्वीकार कर दिया जाता है। अतः वह अंशधारी, जो आम सभा की वार्षिक बैठक में विशेष रुकावट पैदा करता है, आपत्तियां उठाता है और उस वार्षिक बैठक में उसके इस प्रकार के अनुचित हस्तक्षेप, इस प्रकार की अनुचित कठिनाइयों को नजरअन्दाज करना कठिन हो जाता है। ऐसे मामले में निदेशक मंडल सुरक्षित उपाय अपनाना चाहते हैं और वे शेयरों का हस्तांतरण करने से इंकार कर देते हैं। जहां तक इस हस्तांतरण का संबंध है वह कोई छोटा-मोटा निवेशक नहीं है जो एक या दो या पांच शेयर खरीदता है। उसका उद्देश्य पूंजी लगाना नहीं है। उसका उद्देश्य केवल आम सभा की बैठक में कठिनाइयां उत्पन्न करना है। वस्तुतः वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग बहुधा ब्लैकमैल करने के लिए करता है ताकि निदेशक मंडल उसे चुप रहने के लिए कुछ दें। लेकिन मेरे विचार में इसका जो भी कारण हो मैं वित्त मंत्रालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का पूरा समर्थन करता हूं। उसके अपने जो भी कारण हों, इस शेयर होल्डर द्वारा शेयर खरीदे जाने के जो भी कारण हों, जहां तक निदेशक मंडल का संबंध है, यदि वह इन्कार करना चाहता है तो वह इसका कारण लिखित में दे सकते हैं, और यदि कभी कोई अपील दायर की जाती

है तो वे उन्हें कंपनी बोर्ड को प्रस्तुत कर सकते हैं। सभापति महोदय, इस पर आपत्ति करने के लिए मेरे पास कोई विशेष कारण नहीं है और मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं तथा मानता हूं कि यह एक आवश्यक विधेयक है और यह बहुत अच्छी बात है कि इसे पेश किया गया है। धन्यवाद।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, जिस प्रकार जल्दी में सत्र के अन्तिम दिन यह विधेयक लाया गया है वह निश्चय ही हास्यकर है। बजट भाषण में ही कहा गया था कि इस प्रकार का विधेयक लाया जाएगा तो इसमें इतना अधिक समय क्यों लगा ? हम आतंकवादी गतिविधियां (संशोधन) विधेयक और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन दोनों का इतनी जल्दी अध्ययन नहीं कर सकते।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यह स्वाभाविक है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : लेकिन आपत्तिओं और कारणों के कथन ने मुझे चकित कर दिया है। इसमें दावा किया गया है कि यह विधेयक अल्प शेयरहोल्डरों की सुरक्षा के लिए लाया गया है। मैं नहीं समझता कि इस ढांचे में कम्पनी के छोटे शेयर होल्डरों की कम्पनी निदेशक बोर्ड में कोई पहुंच है। यह बहुत बड़ा दावा है। मैं यह समझ सकती हूं कि नन्दा और स्वराज पाल के बीच शक्तियों के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसके लिए यह आवश्यक है। लेकिन मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि कम से कम ऐसे बड़े दावे नहीं करें कि यह संशोधन विशेषतः साधारण शेयर होल्डरों की सुरक्षा करेगा। इसके विपरीत, भविष्य में उन्हें वास्तव में गम्भीर होना चाहिए और यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या कोई संशोधन छोटे शेयर होल्डरों के हित की रक्षा कर सकता है जिसके लिए मैं सोचती हूं कि यह विधेयक कोई गारण्टी नहीं है। मेरे विचार में इस विधेयक का गरीब जनता के लिए कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैं न ही इसका समर्थन करती हूं और न ही इस पर कोई विशेष आपत्ति उठाती हूं।

प्रो० मधु दंडवते : इसका साधारण शेयर होल्डर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : बिल्कुल नहीं, लेकिन इस अवसर पर मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगी कि इस सम्बन्ध में कुछ ठोस संशोधन लाएं। वास्तव में साधारण शेयर होल्डरों की सुरक्षा के लिए, जो भी सम्भव हो, करें।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में मुझे केवल दो-तीन बातें कहनी हैं और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं एक स्माल इन्वैस्टर हूं और मैं जानता हूं कि स्माल इन्वैस्टर्स को और स्माल शेयर होल्डर्स को कितनी दिक्कत होती है। सही मायनों में ये बड़ी-बड़ी कम्पनी वाले साल-साल भर सीक्योरिटीज को और शेयर्स को ट्रांसफर करते रहते हैं। एक आदमी जो अपनी मेहनत के पैसे से सीक्योरिटी या शेयर खरीद कर रखता है ताकि अपनी लड़की की शादी कर सके, मकान बनाते समय या किसी दूसरी कठिनाई के समय वह अपने शेयर को बेच कर काम चला सके लेकिन जब वह अपने शेयर को बेचना चाहता है तो उसका शेयर बिकता नहीं है। लोगों को पता नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि मुझे इसका तजुर्बा है, मुझे इसका अनुभव है। इस काम में बीच में दलील पड़ते हैं और उनकी चांदी हो जाती है। वे कहते हैं कि आप अपना शेयर, जिसकी मार्केट वैल्यू 150 रुपए है, हमें 120

रुपए में दे दो तो फिर यह हमारी रिस्पोंसिबिलिटी है कि हम उसको अपने नाम ट्रांसफर करा लें। एक जरूरतमन्द आदमी उसे 120 तो क्या 110 रु० में ही देकर फुरसत पा जाता है, 100 में ही देकर फुरसत पा जाता है क्योंकि उसे पैसे की जरूरत होती है। मेरे कहना का मतलब यह है कि इस बिल को लाकर सरकार ने स्माल इन्वैस्टर्स के हित में बहुत अच्छा कदम उठाया है और इस कदम की तारीफ करनी चाहिए। इसके पास होने के बाद वास्तव में स्माल इन्वैस्टर्स और स्माल शेयर होल्डर्स जो तकलीफ पाते हैं, उनकी तकलीफों में कमी होगी।

इसी सिलसिले में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। स्माल शेयर होल्डर्स की बात कंपनी में सुनी नहीं जाती है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अगले किसी सत्र में कोई ऐसा अमैंडमेंट लावें जिसमें स्माल इन्वैस्टर्स और स्माल शेयर होल्डर्स की बात को सुना जाए। कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन मुझे कहा गया है कि मैं जल्दी अपना भाषण समाप्त करूं। मैं आपको बताऊं कि इसमें एक और हेराफेरी होती है। होता यह है कि जब भी कोई नई अट्रैक्टिव कम्पनी—उदाहरण के लिए टाटा टिस्को को ही लीजिए, जब भी उसके शेयर निकले तो जिनके पास पैसा होता है, आप मेरी बात समझ लीजिए, वैसे तो उसमें लिखा होता है कि यदि कोई बेनामी शेयर के लिए एप्लाई करेगा तो उस पर ऐक्शन होगा लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में आज तक क्या उसने किसी एक केस के बारे में भी पता लगाया कि किसने बेनामी एप्लाई किया है और उस पर ऐक्शन लिया हो। मैं दावे के साथ कहता हूं और चेलेंज करता हूं कि मैं सौ केस ऐसे प्रूव कर दूंगा जिन्होंने बेनामी एप्लाई किया है और बेनामी शेयर्स को लिया है। इसलिए यह काम ऐसा है कि जिसके पास पैसा है वह ऐसे आदमियों के नाम से शेयर खरीदने के लिए एप्लाई करता है, जिनका कोई वजूद नहीं होता और सरकार को उसका पता ही नहीं चल पाता है। मान लीजिए उसने सारे देश में 50 हजार शेयर्स के लिए एप्लाई किया, यदि लाटरी भी लग जाए तो हजार-दो हजार शेयर तो फिर भी आ ही जाएंगे। उन हजार दो हजार शेयर्स की मार्केट वैल्यू बहुत होती है। दूसरी तरफ गरीब, जिसके पास पैसा कम है, यदि वह एक शेयर के लिए एप्लाई करता है तो चांस की बात अलग है, उसका शेयर कभी नहीं आएगा। जो लोग पचास हजार शेयर्स के लिए एप्लाई करेगा, 5 लाख शेयर्स के लिए अलग-अलग नामों से एप्लाई करेगा।

12.00 मध्याह्न

इसलिए यह एक विशियस सर्कल है जिस सर्कल में गरीब और कम इन्कम वाला कभी घुस नहीं सकेगा। यह एक ऐसी चाल है जिसका पता इसके अन्दर घुसे बिना नहीं चल सकता है। जब तक कोई इसके अन्दर नहीं जाएगा, तब तक वह इनकी चाल को नहीं समझ पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस चाल को समझा जाए और जहां आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं वहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी केवल सोसायटी में ही नहीं, बल्कि डेमक्रेसी में ही फायनेंशियल स्तर पर भी हो जिससे छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट करने वालों को भी बड़ी-बड़ी कम्पनियों में शेयर खरीदने का मौका मिले और छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट करने वालों को न केवल शेयर खरीदने का बल्कि उनको अपनी आवाज उठाने का मौका मिलना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हारबर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध

है मुझे इस विधेयक के जो उपबन्ध अधिनियमित किए जा रहे हैं उन पर और उन्हें कानून पुस्तक में शामिल करने पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं इस विधेयक का इसलिए विरोध करता हूं कि यह उपबन्ध गलत अधिनियम में शामिल किए जा रहे हैं। अब प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम का इस उपबन्ध को शामिल करने के लिए संशोधित किया जा रहा है जबकि इस अधिनियम को संशोधित करने की कतई जरूरत नहीं है। यह कम्पनी अधिनियम, 1956 में शामिल किया जाना चाहिए था। जो पब्लिक लि० कम्पनियों की प्रतिभूतियों को स्टाक एक्सचेंज की सूची में लाने से संबंधित है।

यह संशोधन विधेयक प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम की धारा 22 के पश्चात् धारा 22-ए शामिल करने के लिए है जिसका संबंध उन कम्पनियों के अपीली अधिकार से है जिनके शेयरों को स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया जाता है। जो भी हो, इस नए उपबन्ध का प्रतिभूतियों को स्टाक एक्सचेंज की सूची में शामिल करने से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह केवल शेयर होल्डरों के शेयर उनके नाम हस्तांतरित करने के उनके अधिकार को प्रभावित करता है। केवल कम्पनी अधिनियम की धारा 111 के अन्तर्गत कुछ उपबन्ध हैं जिनके अंतर्गत बिना कोई कारण बताए शेयर रजिस्ट्रर करने से इनकार करने का अधिकार कम्पनी के निदेशकों को दिया गया है। अब इस विधेयक के खण्ड 2 के उपखण्ड (3) द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है, अर्थात्,

> "कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेदों या धारा 82 में या धारा 111 में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी लेकिन इस धारा के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन कोई कम्पनी किसी एक अथवा अधिक निम्न आधार पर अपनी प्रतिभूति का अन्तरिती को अन्तरित किए जाने को पंजीकृत करने से इन्कार कर सकता है। अर्थात्···"

स्पष्ट है कि अब आय कम्पनी अधिनियम की धारा 111 के अन्तर्गत कम्पनी को पहले से दी गई शक्तियों में संशोधन कर रहे हैं। आप इस उपबन्ध को निकाल रहे हैं अर्थात् "बिना किसी कारण को बताए शेयरों को रजिस्ट्रर करने से इनकार करना ।" आप कहते हैं कि छोटे निवेशकों को नुकसान हो रहा है। मैं नहीं जानता कि वह प्रभावित हो रहे हैं या नहीं। लेकिन आप जो कह रहे हैं मैं उसे स्वीकार करता हूं। फिर भी गलत अधिनियम का संशोधन करने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार की चीजों से विधि प्रणाली में भ्रम पैदा होता है जिसका अन्ततः कोई समाधान नहीं रहता क्योंकि प्रभावित व्यक्ति को यह मालूम नही है कि अधिकार या दायित्व के लिए उपबन्ध विशेष कहां मिलेंगे। लोक कम्पनी अधिनियम में खोजें कि कुछ परिस्थितियों में, कम्पनी को शेयर का रजिस्ट्रेशन स्वीकार का अस्वीकार करने का अधिकार से सम्बद्ध उपबन्ध कहां है। तो ऐसी स्थिति में इसका उपचार क्या है। उसका ध्यान इस विशेष अधिनियम पर नहीं जाएगा क्योंकि इसका नाम अपने आप में स्पष्ट नहीं करता कि इसमें किसी कम्पनी द्वारा किसी शेयर होल्डर विशेष के नाम शेयर रजिस्टर करने के सम्बन्ध में कुछ हो सकता है। यह अधिनियम पूर्वतः एक विभिन्न उद्देश्य के लिए है और इसमें ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके अन्तर्गत कम्पनी में शेयर रजिस्टर करने से अधिकार को विनियमित किया जा सकता हो।

इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वे विधि तन्त्र को और ज्यादा पेचीदा न बनाएं, यह पहले ही काफी जटिल है। इस प्रकार के छोटे-छोटे और तदर्थ कानून पेश करने की बजाय, उन्हे संशोधन कर सही ढंग से अधिनियम में परिवर्तन करना चाहिए, अर्थात् कम्पनी अधि-

नियम, 1956 में परिवर्तन करना चाहिए न कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम में। इसके अलावा मुझे इस उपबन्ध से कोई एतराज नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रतिभूति संविधान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 1985 का पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी तक जितने माननीय सदस्य इस पर बोले हैं, सभी ने इसका समर्थन किया है। यहां तक कि हमारे अमल दत्ता साहब ने भी इसके ओब्जेक्ट्स के बारे में आपत्ति नहीं की है, उन्होंने टैक्निकल प्वाइन्ट उठाये हैं। उन्हें माननीय मंत्री जी देखेंगे। लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया है। यह एक छोटा-सा बिल है, इस पर ज्यादा बोलने की बात नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले बजट में 16 मार्च को जो बजट स्पीच दी गई है, उसमें मंत्री जी ने इस बिल में संशोधन करने का संकेत किया था और उसी के अनुरूप यह बिल लाया गया है। हमारे अमल दत्ता जी और दूसरे इस तरह के लोग हैं कि हमारा बजट सोशलिस्टिक पैटर्न की तरफ नहीं ले जाता है। अब यह सिद्ध हो रहा है कि यह जो संशोधन लाया गया है, आर्थिक कार्यक्रम के मामले में हम निर्णय ले रहे हैं और यह उसी रास्ते की तरफ ले जा रहा है जो हमारे समाजवादी समाज की रचना की तरफ जाता है।

यह प्रसन्नता की बात है कि छोटे-छोटे शेयरहोल्डर्स, जो किसी कम्पनी के शेयर खरीदते हैं, उनको जो कठिनाई होती है, मेरे एक भाई ने विस्तार से मुझे बता दिया है, उसकी चर्चा की यहां जरूरत नहीं है लेकिन जिन उद्देश्यों के लिए कोई व्यक्ति बचत करता है, और वह समय पर नहीं मिलती है तो उसे बहुत कठिनाई होती है। उसी कठिनाई को दूर करने के लिए हमारे वित्त मंत्री यह बिल लाये हैं। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं और जहा तक टैक्निकल बातें श्री अमल दत्ता जी ने उठाई हैं, उन्हें मंत्री महोदय देख लेंगे ताकि कही कोई कमी न रहे। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष की ओर से ही नहीं अपितु विपक्ष की ओर के माननीय सदस्यों ने भी अपना पूरा-पूरा समर्थन दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। कुल मिलाकर छः सदस्य इस विषय पर बोले।

इस सम्बन्ध में श्री अमल दत्ता ने बड़ा ही संगत प्रश्न उठाया है। जहां तक इस प्रतिभूति विनियमन अधिनियम का सम्बन्ध है, यह स्टाक एक्सचेंज के बारे में है। जब तक कम्पनी अधिनियम का सम्बन्ध है, वह एक बहुत व्यापी अधिनियम है जिसके अन्तर्गत पब्लिक लिमिटेड कम्पनिया, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां तथा कम्पनी समझी जाने वाली कम्पनियां और सरकारी कम्पनियां आती हैं। यह एक ऐसा अधिनियम है जिसका क्षेत्र बड़ा व्यापक है। लेकिन यहां क्योंकि स्टाक एक्सचेंज वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत आता है, इसका नियंत्रक मन्त्रालय वित्त मन्त्रालय ही है। कंपनी अधिनियम के मामले में नियन्त्रण मन्त्रालय कम्पनी कार्य मन्त्रालय है। कम्पनी कानून में इसी प्रकार का संशोधन करने की माननीय सदस्य की भावना से मैं उनको अवश्य अवगत कराऊंगा। यह एक बहुत अच्छा सुझाव है। मेरी अपनी राय भी यही है कि कम्पनी अधिनियम में संशोधन होने चाहिए

और मैं माननीय कम्पनी कार्य मन्त्री को लिखूंगा कि वह माननीय सदस्य श्री अमल दत्ता के इस सुझाव पर गौर फरमायें।

जिस उद्देश्य को लेकर यह संशोधन पुरःस्थापित किया गया है, वह यह है कि निवेशकों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। जब बचत ज्यादा होगी तो निवेश भी बढ़ेगा और जब निवेश बढ़ेगा तो विकास भी अधिक होगा। इसी उद्देश्य को लेकर विधेयक पुरःस्थापित किया गया है।

माननीय सदस्य श्री पनिका तथा श्रीमती गीता मुखर्जी ने यह मुद्दा उठाया है कि अधिकाधिक लोग आगे आयें और यह ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों के लघु आय वाले लोगों की पहुंच में हो। इसी उद्देश्य को लेकर ही हम यह संशोधन लाये हैं। वस्तुतः यह ग्रामीण लोगों की पहुंच में होना चाहिए। शेयरों का अन्तरण बहुत ही आसान तथा सरल बना दिया गया है। माननीय सदस्या श्रीमती गीता मुखर्जी ने कहा है कि हमें लम्बी चौड़ी बात नहीं करनी चाहिए। हम कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं कर रहे, लेकिन साथ-साथ मैं यह भी नहीं समझता कि माननीय सदस्य मेरी इस बात पर, जैसा कि श्री एच० एम० पटेल तथा श्री माधव रेड्डी ने भी कहा, कोई एतराज होगा कि यह प्रस्ताव बड़ा उचित है और स्वागत योग्य है और यह आधुनिकीकरण की ओर तथा विकास की ओर एक कदम है।

यहां पर स्वराज पाल और एस्कोर्ट्स का उल्लेख किया गया है। यह मामला न्यायालय में चल रहा है। उपबन्ध किसी का पक्ष लेनें अथवा किसी को बचाने के लिए नहीं किया गया है...

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप कहते हैं कि यह मामला न्यायालय में चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों का यह ख्याल है कि यह 'पूर्वग्रह' से ग्रस्त है।

श्री जनार्दन पुजारी : यह सच है कि ये उपबन्ध भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होंगे न कि भूतलक्षी प्रभाव से पहले शेयर अन्तरित करने के बारे में निदेशक मण्डल की ओर से यदि मनाही की जाती थी तो निवेशकों को कम्पनी विधि बोर्ड के पास जाना होता था। अब हमने इस उपबन्ध में परिवर्तन कर दिया है और अब यदि निदेशक बोर्ड शेयर अन्तरित करने की इजाजत नहीं देता तो उसे कम्पनी विधि बोर्ड के पास जाना होगा और उनको इसके कारण बताने होंगे। यह परिवर्तन हमने किया है। हम किसी कम्पनी को अस्थिरता प्रदान नहीं करना चाहते। एक दूसरा उपबन्ध भी है। यदि कम्पनी यह सोचती है कि किसी कानून का कोई उल्लंघन हुआ है, या अस्थिरता प्रदान करने की दिशा में कोई कदम उठाया गया है, तो वे निश्चय ही शेयर अन्तरण के लिए मना कर सकते हैं और कम्पनी विधि बोर्ड को उसके कारण बता सकते हैं तथा अपना पक्ष उसके सामने रख सकते हैं। जहां तक निवेशकों का सम्बन्ध है, इससे हम देश के सात लाख से भी अधिक निवेशकों की मदद कर रहे हैं।

इस उपबन्ध से ही यह बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि यह विकास की दिशा में एक कदम है और यही बात विपक्ष के सदस्यों श्री एच० एम० पटेल और श्री माधव रेड्डी ने भी कही है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं एक बार फिर सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हू कि उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले इस विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि माननीय सदस्यों से संशोधन प्राप्त करने हेतु हम एक बजे का समय निश्चित कर चुके हैं, हम अभी खण्डवार विचार शुरू नहीं कर सकते···

प्रो० मधु दण्डवते : मैं एक रास्ता सुझा रहा हूं। यह सही है कि यदि आपने संशोधन प्राप्त करने के लिए कोई समय निश्चित कर दिया है, तो उसका पालन होना चाहिए। लेकिन यह सभा सर्वोच्च है। यह अपनी मर्जी की मालिक है। अतः यह फैसला सभा पर छोड़ दिया जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि किसी सदस्य ने किसी संशोधन की कोई सूचना दी। हम किसी संशोधन की सूचना नहीं दे रहे हैं। अगर सभा यही चाहती है, क्योंकि संशोधनों की सूचना नहीं दी गई है, आपको एक बजे तक इन्तजार करने की आवश्यकता नहीं है और आप अब इस पर आगे कार्यवाही कर सकते हैं। विधेयक पारित किया जा सकता है···

उपाध्यक्ष महोदय : इसे पूर्वोदाहरण के रूप में लिया जा सकता है और यह बाद में मुश्किल पैदा कर सकता है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : जिस भावना से प्रो० मधु दण्डवते ने सुझाव दिया है, मैं उससे सहमत हूं। फिर भी, मैं महसूस करता हूं कि इन्तजार करना बेहतर होगा। जब एक दफा सभा में संशोधन पेश किए जाने के समय की घोषणा की जा चुकी है—कुछ सदस्य यहां उपस्थित हैं कुछ नहीं हैं—इसलिए इस पर आगे कार्यवाही करना सही नहीं होगा। इससे कुछ दिक्कतें ही पैदा होंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम दो बजे पुनः समवेत होकर खण्डवार विचार आरम्भ करें।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा दो बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

12.16 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 2.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 3 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

2.04 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 20 मई, 1985/30 वैशाख, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

नरेन्द्र प्रिंटिंग प्रेस, 20, मॉडल बस्ती,
रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली-110005